दिनांक 13 अगस्त, 2015 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

2– 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या– N-11019/797/2015-P&J दिनांक 3 अगस्त, 2015 में उल्लिखित प्रकरण पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13 अगस्त, 2015 को पंचायतीराज विभाग एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी–

1. श्री विनोद फोनिया, सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री हरबंस सिंह चुघ, अपर सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एल. एन. पंत, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री डी0 पी0 देवराड़ी, संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।

3– बैठक में सचिव, पंचायतीराज द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश की तीनों स्तरों की पंचायतों को धनराशि का संक्रमण किया जाता था, जबकि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में मात्र ग्राम पंचायतों के लिये ही धनराशि के संक्रमण की संस्तुति की गयी है, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। ब्लॉक एंव जिला पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से धन प्राप्त न होने की स्थिति का संज्ञान लेकर चर्चा हुई।

4– वर्ष 2015–16 के लिये संस्तुत रू0 203.26 करोड़ के सापेक्ष वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 719/XXVII(1)/2015 दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को प्रथम किश्त के रूप में रू0 101.63 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। चूँकि 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटित की जाने वाली राशि में प्रतिवर्ष उल्लेखनीय वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में धनराशि के सदुपयोग हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये :

1. 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री/मा0 विभागीय मंत्री स्तर पर बैठक आयोजित की जाये।
2. (i) मा0 मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों को अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया जाये। बढ़ी हुई धनराशि की जानकारी दी जाये।

   (ii) मुख्य सचिव स्तर से सभी जिलाधिकारियों एवं सचिव, पंचायतीराज की ओर से सभी मुख्य विकास अधिकारियों को योजनाओं के सफल संचालन व धनराशि के सदुपयोग के लिये पत्र भेजा जाये।
3. ग्राम पंचायतों को संक्रमित हो रही/होने वाली राशि में से एक हिस्सा, उदाहरणतया 50 प्रतिशत राशि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं/राज्य सरकार की संचालित योजनाओं एवं प्राथमिकताओं पर व्यय की जाये तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम सभा की बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार एवं वित्त विभाग के शासनादेशानुसार किया जाये।
4. राज्य सरकार द्वारा मा0 मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं की परियोजनाओं/योजनाओं पर ग्राम पंचायतों के व्यय का सदुपयोग करने के निर्देश जारी करते हुए क्षेत्र में निर्देशों के अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था की जाये।
5. ब्लॉकों में अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में यथोचित प्रस्ताव पारित करायें व तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान कर क्रियान्वयन करें।
6. सचिव, पंचायतीराज से अपेक्षा की गयी कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण/पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सरल भाषा में दिशा–निर्देश निर्गत करें।
7. उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि सचिव, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को उनकी ओर से इस आशय का पत्र भी प्रेषित किया जाये कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों हेतु धनराशि संक्रमण के लिये कोई संस्तुति न होने के कारण इनको अतिरिक्त धनराशि के संक्रमण के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जाये।

अन्त में बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुयी।

(विनोद फोनिया)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्याः 1471 /XII(1)/2015–96(06)/2015
देहरादून दिनांक 19 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव/अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

Department of Suraaj, Bhrashtachar Unmoolan and Jan Sewa
Government of Uttarakhand
Designed & Developed by :
National Informatics Centre, Dehradun - Uttarakhand